

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपरखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीवसीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 100/2022

राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. अलाबक्स पुत्र बिरवरे खां जाति सिन्धी मुसलमान नि. भड़ला तह बाप जिला जोधपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

अप्रार्थी.....

उपस्थित:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक:- 23.12.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इश्ट आदेश से पेडा किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेडा किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की कब्जासुद्ध खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 614.6599 हैक्टेयर में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 50.00 बीघा भूमि सरहद मौजा भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुज तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त पीढियों से चला आ रहा है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेडा किया जा रहा है जिसे वाद का अभिन्न हिस्सा व अंग माना व समझा जावे। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के पूर्वजों का तथा उनके फौत होने पश्चात प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करते आ रहे है तथा हर वर्ष



Signature
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

काइत कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। लेकिन वक्त सेटलमेंट जगत भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजों को कब्जा व काइत होने से बावजूद भी जगत भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी के पूर्वजों का जगत वादग्रस्त भूमि पर अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक कब्जा व काइत रखा तथा उनके फौत होने के बाद जगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काइत आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जा (एडवर्स पजेसन) के आधार पर भी ख़ातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये प्रार्थी ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 39 रकबा 614.6599 हैक्टेयर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 50.00 बीघा भूमि की ख़ातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी को जरिये कानून रोका जाना आवश्यक है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 39 रकबा 614.6599 हैक्टेयर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 50.00 बीघा भूमि पर चले आ रहे प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काइत में किसी प्रकार की दरबलअंदाजी न तो अप्रार्थी स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेडा है।



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है-

सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णाय क्षति नहीं हो रही है। जगत खसरा नम्बर 39 रकबा 614.6599 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा भड़ला सरकारी भूमि दर्ज है। जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काइत नहीं है और न ही सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ख़ातेदारी दी जा सकती है। जगत भूमि सरकारी होने से प्रार्थी को समय-समय पर बेदखल किया जा रहा है। सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

Signature
उप-सहायक सचिव
जोधपुर

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी व प्रार्थी के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और प्रार्थी अभिलिखित काश्तकार नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जो प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है और तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत समय-समय पर बेबरबल किया जाता रहा है। राजकीय भूमि के संरक्षण का भू-धारक को पूर्ण अधिकार है।



अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। चूंकी वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जानी उचित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

hisa
उपनिवेशक कलेक्टर
बाप (जोबपुर)

अपूर्णिय क्षति

अपूर्णिय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्त्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकशानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय द्वारा मं प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईच्छित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने के अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय गुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दारिजल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



hijra
(मांगीलाल आर.ए.ए.ए.)
सहायक कलक्टर एवं
सम्बन्धित अधिकारी
बाप (जोधपुर)